"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 13, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 17 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-57/2020/सत्रह/एक.—महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 के विनियम 12 (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु निम्नानुसार रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराये जाने को अनिवार्य घोषित करती है, अर्थात् :—

1. सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा.

2. कार्यालय/कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा.

3. दो पहिया/चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

4. उपरोक्त हेतु डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. फेस कवर/मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा/रुमाल/दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढंका हो. कपड़े का मास्क/फेस कवर/गमछा/रुमाल/दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाये.

5. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है.

6. होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

7. दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा.

कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत् निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा, अर्थात् :—

1.	सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में	—	रुपये 100/-
2.	होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में	—	रुपये 1000/-
3.	सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में	—	रुपये 100/-
4.	दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में.	—	रुपये 200/-

महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के प्रावधानों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक उप-निरीक्षक (ए.एस.आई.) से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही उपरोक्त जुर्माने की राशि की वसूली की जा सकेगी तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 1 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 20-53/2020/11-6.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन छत्तीसगढ की छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2019) में निम्नलिखित अनुसार संशोधित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित-2019) में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :—

1. नियम 4.3.3 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

नियम 4.3.3—खुली निविदा पद्धति :— इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदायें बुलाकर करना चाहिये. निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किये जावें :—

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य

रु. 50,001 से रु. 2.00 लाख तक हो	—	स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में.
रु. 2.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो	—	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में.
रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो	—	प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में.
रु. 20.00 लाख से अधिक	—	प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में.

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी.

परन्तु, खुली निविदा पद्धति में आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जाकर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा.

2. नियम 7.1 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"सीएसआईडीसी के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता का पंजीयन किया जावेगा."

3. नियम 7.3 के वर्तमान प्रावधान का निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

7.3 — "सामान्यत: सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी. परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में नया दर अनुबंध निष्पादित न होने पर पूर्व दर अनुबंध की वैधता में अधिकतम 6 माह की वृद्धि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जा सकेगी, जो कि किसी भी परिस्थिति में मूल दर अनुबंध अवधि का समयावधि वृद्धि अवधि जोड़कर कुल एक वर्ष छ: माह से अधिक नहीं होगी.

4. नियम 13.1 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

नियम 13.1 — विलोपित.

5. नियम 13.2 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

नियम 13.2 — विलोपित.

6. नियम 14 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—
नियम 14 — विलोपित.

7. नियम 14.1 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—
नियम 14.1 — विलोपित.

(दो) उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 19 अगस्त 2020

क्रमांक एफ-3-14/2020/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्थान को उसके तत्स्थानी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन घटित समस्त अपराधों एवं बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अपराधों के संबंध में पुलिस थाना घोषित करती है :—

अनुसूची

पुलिस थाने का नाम (1)	पुलिस थाने के संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र (2)
सायबर पुलिस थाना, रेंज रायपुर/दुर्ग/ बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा	रेंज अन्तर्गत आने वाले समस्त जिले

कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट सायबर पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार उक्त अपराधों के संबंध में रहेगा.

No. F-3-14/2020/Home-2.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, hereby, declares, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the place specified in column (1) of the Schedule below as Police Station for the areas specified in the corresponding column (2) thereof, in respect of all the offences committed under the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000) and offence relating to intellectual property right :—

SCHEDULE

Name of the Police Station (1)	Areas falling within the respective jurisdiction of the Police Station (2)
Cyber Police Station, Range Raipur/Durg/ Bilaspur/Bastar/Sarguja.	All the districts covered under the Range.

The Cyber Police Station specified in column (1) shall have jurisdiction in respect of the said offences.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 13 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 16-1/2016/विविध/गृह-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा 01 नवम्बर, 2020 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर "छत्तीसगढ़ शौर्य पदक नियम, 2017" के तहत निम्नांकित पुलिस कार्मिकों को वर्ष 2020 के लिए "छत्तीसगढ़ शौर्य पदक" प्रदान किया जाता है :—

1. सहायक उप निरीक्षक, श्री गणेश करमरका, जिला-बीजापुर.
2. आरक्षक-697, श्री देवा आनंदम्, जिला-बीजापुर.
3. प्रधान आरक्षक-232, श्री रामलाल कश्यप, जिला-दन्तेवाड़ा.
4. प्रधान आरक्षक-960, श्री कुटुम्ब राव, जिला-दन्तेवाड़ा.
5. आरक्षक-246, श्री गोपी इस्ताम, जिला-दन्तेवाड़ा.
6. उप निरीक्षक, श्री जितेन्द्र एसैया, जिला-सुकमा.
7. निरीक्षक श्री मोहसीन खान, जिला-रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 2 नवम्बर 2020

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—जिला जगदलपुर के अंतर्गत बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-07-2020 में अंकित "जिला जगदलपुर बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र" के स्थान पर "जिला कोण्डागांव पुनर्गठित बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 14 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 20-53/2014/25-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार वर्ष 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

नियम कंडिका-4 में निम्नानुसार जोड़ा जावे :—
"सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग निर्णायक मण्डल का सदस्य सचिव होगा".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. दुबे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/12472/भू-अर्जन/2020.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	ढुकुपथरा	0.756 हेक्टेयर	ढुकुपथरा-पर्रापखना मार्ग पर गाजर नदी पर सबमर्सिबल पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम ढुकुपथरा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-09-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान पंचायत भवन ढुकुपथरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	ढुकुपथरा-पर्रापखना मार्ग पर गाजर नदी पर सबमर्सिबल पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 439.42 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 10 ग्रामों के लगभग 14725 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को पूर्व से जमा राशि रुपये 10.00 लाख में से राशि रुपये 5.00 लाख का समायोजन करने हेतु लेख किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2018-19.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम बागमोहलई की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो व्यौरा दें
(1)	(2)	(3)
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाईयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

1- तद्अनुसार आज दिनांक 10/2020 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2020

क्रमांक 4471/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	सुकुलपारा प.ह.नं.-30	1.721	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. चांपा संभाग, चांपा.	शि. ना. बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 1 नवम्बर 2020

क्रमांक/15644/10/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-रेंकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.568 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408/70	0.016
408/77	0.049
408/9	0.036
408/13	0.053
444	0.121
450/7	0.044
446/2	0.174
445/2, 446/1, 447/1	0.109
510/8	0.141
412/20	0.141
510/10	0.076
410/14, 513/3	0.036
510/1ख, 513/2ख	0.028
510/1क, 513/2क	0.133
408/69	0.060
408/68	0.036
408/83	0.080
412/10	0.016

(1)	(2)
412/7	0.036
443/2, 450/1, 450/14	0.032
445/3, 446/3, 447/5	0.056
510/2	0.068
512/3, 513/3	0.040
512/4	0.008
512/1	0.121
837/1	0.271
839	0.449
851/1, 851/2, 851/5, 851/8	1.025
511	0.073
840/2	0.040
योग 43	3.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 नवम्बर 2020

क्रमांक/15647/06/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.463 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/13	0.012

(1)	(2)
75/1	0.242
74, 75/3	0.380
76/1	0.020
11	0.375
16/10	0.008
16/11	0.008
16/12	0.036
93/3	0.307
94/1	0.675
13	0.101
14	0.097
15	0.202
योग 14	2.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

क्रमांक/15635/08/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-सरईसिंगार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.748 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
341/2	0.113

(1)	(2)
341/1	0.206
342/2, 343/2, 346/2	0.109
342/3, 343/3, 346/3, 345/4, 357/4	0.069
342/1, 343/1, 346/1, 345/2, 357/2	0.251
योग 15	0.748

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

क्रमांक/15638/09/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-अण्डीकछार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
546/4ज	0.065
546/1च/2	0.319
546/1च/1	0.024
532/2च/2	0.036
532/2ञ	0.076
532/2क	0.040
546/2च	0.040
546/2च/1	0.040
546/2ग	0.077
546/2ङ/1, 546/2घ	0.056
546/2ङ/2, 546/2ङ	0.056
546/2ङ/3, 546/2ख/3	0.056
546/2ङ/4, 546/2ख/4	0.056
546/2ङ/5, 546/2ख/5	0.056
546/2ङ/6, 546/2ख/6	0.056
546/2ग/2	0.016
532/2ङ	0.061
योग 23	1.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

क्रमांक/15641/07/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.688 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1/ङ	0.120

(1)	(2)
376/1/ध	0.125
376/3	0.093
376/1/न	0.350
योग 4	0.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-बागमोहलई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1319/1	0.010
1320/1	0.110
1324	0.090
योग 03	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर, जिला बस्तर तथा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2020

प्र. क्रमांक/11059/08/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-परसा, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96/1, 105/1	0.028
96/2, 105/2	0.020
104/8	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
106/5	0.008	282/1	0.008
106/2	0.016	650/2	0.040
108/1	0.004	668/1	0.012
108/4	0.016	282/2	0.008
99/3	0.045	281/1	0.012
104/5	0.032	301/1	0.008
104/9	0.008	282/3	0.008
213/9	0.020	281/2	0.012
362/2	0.008	280	0.045
99/4	0.012	432/2	0.016
159/7	0.004	300/1	0.016
198/4	0.004	301/4	0.008
159/5	0.008	362/1	0.008
200/3	0.008	361/2	0.016
159/3	0.008	650/1	0.032
99/5	0.008	301/2	0.004
158/1	0.008	264/6	0.004
137/2	0.016	147/2, 148, 150/2	0.004
137/3	0.004	264/4	0.004
159/4	0.016	147/4, 148, 150/2	0.004
147/2/5, 148/5, 150/2/5	0.004	264/5	0.004
200/4	0.008	264/7	0.004
190	0.008	264/8	0.004
108/2	0.012	264/9	0.004
209	0.016	429/1	0.016
285/2	0.020	429/3	0.008
440	0.040	429/4	0.004
484	0.036	431	0.028
264/1	0.040	437/1	0.016
428, 433	0.045	438	0.061
436	0.008	483	0.004
439	0.045	482	0.004
191	0.016	652/1, 653/1	0.008
198/1	0.004	198/3	0.004
213/3	0.012	653/2	0.008
283/2	0.008	106/1	0.008
210/3	0.008	159/2	0.016
432/1	0.049	106/4	0.008

(1)	(2)
136	0.004
147/2/6, 148, 150/2	0.004
210/2	0.004
432/3	0.028
286/1	0.004
361/1	0.004
650/3	0.012
630/1	0.008
360/1	0.008
360/4	0.004
364/1	0.004
योग 90	1.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोता-परसा-फगुरम मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 28 अगस्त 2020

क्रमांक 1302/न.ग्रा.नि./धमतरी/2020.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15(3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्गठित धमतरी निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तदानुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना प्रतिलिपि उक्त अधिनियम 15(4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची-1

धमतरी निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम देमार, खपरी तेलीनसत्ती एवं उसलापुर

अनुसूची-2

धमतरी निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मुजगहन, खपरी, देमार, उसलापुर, तेलीनसत्ती एवं सम्बलपुर ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सम्बलपुर, सेहराडबरी, शंकरदाह, कानीडबरी एवं कोलियारी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कोलियारी, करेठा, रूदी, भटगांव एवं श्यामतराई ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम श्यामतराई, सोरिदभाठ, रत्नाबांधा एवं मुजगहन ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय ग्राम पंचायत देमार एवं कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.).

No. 1302/T&CP/2020.—It is published for general information to the public that in Persuance of subsection (3) of section 15 of the chhattisgarh nagar tatha gram nivesh adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) an existing land use map and register of the Extanded Planning Area of "Dhamtari" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Assistant Director Town and Country Planning Dhamtari C.G. Copy of this notice is being sent for Publication in "Chhattisgarh Gazette" under sub section (4) of section 15 of the said Act and will be conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE-1

Villages Included in Dhamtari Planning Area

Gram Demar, Khapri, Telinsatti and Uslapur

SCHEDULE-2

Limits of Dhamtari Planning Area

NORTH	:	Gram Mujgahan, Khapri, Demar, Uslapur, Telinsatti and Sambalpur up to North Boundary.
EAST	:	Gram Sambalpur, Sehradabri, Shankardah, Kanidabri and Koliyari up to East Boundary.
SOUTH	:	Gram Koliyari, Karetha, Rudri, Bhatgaon and Shyamtarai up to South Boundary.
WEST	:	Gram Shyamtarai, Soridbhath, Ratnabhandha and Mujgahan up to West Boundary.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date publication for a period of 15 days. during hours except holidays.

Inspection Place : Office of the Gram Panchayat Demar And Assistant Director Town and Country Planning Dhamtari (C.G.).

ललिता धुर्वे,
सहायक संचालक.